

बीमा की बात क्या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने या रिन्यू कराने वाले हैं? स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी ये 5 शब्दावलियां समझ लें, फैसला लेने में आसानी होगी

बीते दो वर्षों में यह साबित हो गया है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हमारे लिए अपरिहार्य है। यह सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आने पर हमारे सामने वित्तीय संकट न खड़ा हो। हमें उम्मीद है कि आप भी जल्द ही स्वास्थ्य बीमा खरीदने या रिन्यू कराने वाले होंगे। ऐसे में हम आपके लिए स्वास्थ्य बीमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां लेकर आए हैं..

• फ्री लुक पीरियड

जरा सोचिए कि क्या होगा यदि स्वास्थ्य बीमा लेने के बाद आपको पता चलता है कि पॉलिसी आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करती है? चिंता न करें। आपके पास पॉलिसी रद्द कर प्रीमियम का रिफंड पाने का विकल्प है और इसे फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। अधिकांश बीमाकर्ता पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से 15 या 30 दिनों की फ्री लुक अवधि प्रदान करते हैं। जिसके दौरान आपके पास अपनी नई बीमा पॉलिसी को रद्द करने या समाप्त करने और रिफंड प्राप्त करने का विकल्प होता है।



• को-पे क्लॉज

को-पे क्लॉज का मतलब है कि आप क्लेम में से कुछ हिस्सा अपनी जेब से वहन करने के लिए तैयार हैं। यह आमतौर पर प्रतिशत में होता है। यदि आपकी पॉलिसी में 10% का को-पे क्लॉज है, तो इसका तात्पर्य है कि आप खर्चों के 10% का भुगतान करेंगे और आपका बीमाकर्ता शेष 90% का भुगतान करेगा। डिडक्टिबल की तरह, को-पे भी प्रीमियम लागत को कम करने में मदद करता है।

• संचयी बोनस

संचयी बोनस वह इनाम है जो बीमाकर्ता आपको क्लेम फ्री वर्ष के लिए देते हैं। इसके तहत आपको बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के ऊंचा कवर मिलेगा। यदि बीमाकर्ता 5% संचयी बोनस ऑफर कर रहा है तो पहले क्लेम-फ्री साल में 20 लाख की बीमा राशि 21 लाख तक बढ़ जाएगी और दूसरे-क्लेम फ्री वर्ष के लिए यह 22 लाख हो जाएगी। यदि आप कोई क्लेम करते हैं तो आपका बोनस उसी दर से घटाया जाएगा।

• मोहलत या ग्रेस पीरियड

यदि आप समय पर अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण या रिन्यू कराने से चूक गए हैं, तो क्या होगा? क्या आप कवर की अवधि के दौरान अर्जित सभी लाभों से चूक जाते हैं? क्या आपको दूसरी पॉलिसी खरीदने की जरूरत है? अगर ये सवाल आपको डराते हैं, तो निश्चित रहें। आपकी चिंताओं का समाधान है। अधिकांश बीमाकर्ता 15 दिनों की छूट अवधि (ग्रेस पीरियड) प्रदान करते हैं, इस दौरान आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं।

• कटौती (डिडक्टिबल)

डिडक्टिबल क्लेम की वह राशि है जो आपको बीमाकर्ता द्वारा भरपाई करने से पहले वहन करनी होती है। आपको एक निश्चित बिंदु तक खर्च वहन करना होगा और बीमाकर्ता उस बिंदु के बाद क्लेम का भुगतान करेगा। मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी में कटौती 2,000 रुपए है और आपका क्लेम 15,000 रुपए है, तो इसका मतलब है कि बीमाकर्ता आपको 13,000 रुपए का भुगतान करेगा, जबकि आपको 2,000 रुपए पहले देने होंगे।



भास्कर नेरकर

हेड-हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन टीम,
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरंस